

२१ 6/10

आज यह पत्रक लिखने के उपलक्ष्य
आभियान आप आपके द्वारा किये जाये
नं 2 पर पेस हुई। पत्रकाल डाकिए
सुनवाई की जाये। प्रकरण में मुख्य
विवाद सीमाशन का है। दोनों ही
पक्ष तहसील के सीमाशन से संतुष्ट
नहीं हैं इसलिए प्रकरण के विचारण
में विलम्ब हो रहा है। इसलिए प्रकरण
में कन्वेक्टर विभाग से वेन्यूअर
जाना उचित होगा।

कतः कोट है कि यदि कानून
प्रतिवादी में से कोई भी कन्वेक्टर
विभाग भरतपुर के सपना विवादि
कारणिक न 4754 रकम 01वीं 06/01/07
4757 रकम 01वीं 06/01/07 15/01/07
पारिध नं 2 की विधि व वेन्यूअर
हेतु आवेदन उल्टर विधानुसारे
तय्य भूमि की वेन्यूअर करावे। कन्वेक्टर
विभाग की वेन्यूअर उपरान्त गतिविधि
को स्वामी विवेचना से पाकर सिद्ध
पाया है कि वे वादी के कलेक्टर की
विवादि कारणी में कोई इष्टिप न
करे। कन्वेक्टर विभाग की वेन्यूअर
तक मौके सीधय 15/01/07 बनाने रहे।
पत्रक लिखने के उपलक्ष्य सुनाए देकर बाद
तबतमिल शाखिए 15/01/07 हो। इच्छ
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)